Acc. Section Jaipur 23.08.22

राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग जयपुर

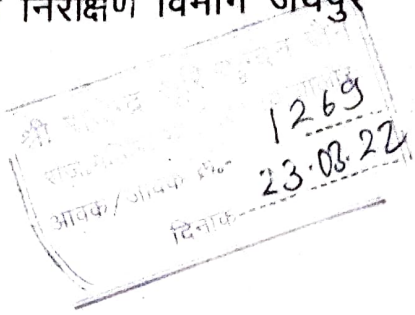

क्रमांक :– एफ. 5(9)(120)/2021–22/ जयपुर, दिनांक

आयुक्त कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– **भण्डार के लेखों का निरीक्षण एवं भण्डारों का भौतिक सत्यापन निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 720/2021–22**

महोदय,

प्राचार्य, राजकीय महिला महाविधालय, जालौर कार्यालय के भण्डार लेखों का परीक्षण व भण्डारों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की एक प्रति आपको सूचनार्थ एवं इसमें दर्शाई गई कमियों एवं त्रुटियों के समाधान करने व उसमें दिये गये सुझावों की क्रियान्विति हेतु एतद् द्वारा प्रेषित की जा रही है।

उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या **2,3,5,7,8** की ओर आपका ध्यान शीघ्र कार्यवाही के लिये विशेष रुप से आकर्षित किया जाता है। प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित अधिकारी को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रतिवेदन की प्राप्ति के दिनांक से दो माह की अवधि में अनुपालना आपकी समीक्षा सहित इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

क्र.सं.	प्रतिवेदन संख्या	बकाया अनुच्छेद	निरीक्षण विभाग की टिप्पणी
1		प्रथम निरीक्षण	

संलग्न : निरी. प्रति पृ.सं.
मय अन्य पृष्ठ

भवदीय,

Sd/-

लेखाधिकारी (भौ.स.)

क्रमांक :– एफ. 5(9)(120)/2021–22/3566 जयपुर, दिनांक 21-02-22

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. प्राचार्य, राजकीय महिला महाविधालय, जालौर।

प्रतिवेदन की प्रति सहित भेजते हुए लेख है कि प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो माह की अवधि में अनुपालना नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से उनकी टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

संलग्न : निरी. प्रति पृ.सं.
मय अन्य पृष्ठ

लेखाधिकारी (भौ.स.)

कमाक–भौ.स.द.58/जालौर/64 दिनांक 5/01/2022

श्रीमान निदेशक महोदय,
निरीक्षण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय– भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन **राजकीय महिला महाविधालय , जालौर।**

महोदय,

उपरोक्त कार्यालय के भण्डार लेखो की जांच एवं भण्डारो का भोतिक सत्यापन दिनांक 01.11.2021 से दिनांक 18.11.2021 तक 13 कार्य दिवस में किया गया हैं। भण्डार सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित अनियमितताओ से संबन्धित अनुच्छेद एवं विभागीय भौतिक सत्यापन का विवरण निम्नवत हैं–

1.विभागीय भौतिक सत्यापन की स्थिति :–

कम सं	आक्षेप का विवरण	आक्षेप संख्या	राशि रू.
1	कम पाये गये सामान का मुल्य	07	415/–
2	कम पाये गयी पुस्तको का मुल्य	04	375/–
3	अधिक पाये गये सामान का मूल्य	–	–
4	अप्रचलित पाये गये सामान का मूल्य	–	–
5	अनुपयोगी सामान का मूल्य	08	21553/–
6	अधिशेष सामानं का मूल्य	–	–
7	क्रय की गई सामग्री का मूल्य, जिसका स्टॉक ईन्द्राज नहीं किया गया	05	7974/–
8	रोकडपाल एवं भण्डारपाल के विशेष वेतन की वसूली	02	5917/–

अ. पूर्व के बकाया प्रतिवेदनो की समीक्षा की स्थिति– निदेशालय निरीक्षण विभाग का प्रथम निरीक्षण है।

ब . प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न– दैनिक डायरी पृष्ठ .....2.....
प्रतिवेदन पृष्ठ ....3..... से ....18.
परिशिष्ट पृष्ठ .....1..... से .....31.....
भण्डार पंजिकाओ की सूची .....परिशिष्ट एक.....

अन्य :– 1. मिमों संख्या एक व दो ।
2. कार्यालय पत्रांक – राममजा/स्था./1084 दिनांक 18.11.2021
3. पुस्तकालय से सम्बन्धित सूचना। ।

जांच प्रभारी

राजस्थान सरकार

निदेशक निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर

भौतिक सत्यापन दल :–58

कैम्पः– राजकीय महिला महाविधालय , जालौर।

दैनिक डायरी

नाम अधिकारी/कर्मचारीः–श्री अमर चन्द कनिष्ठ लेखाकार

दिनाकं 01.11.2021 से 18.11.2021

क्रम संख्या	दिनांक	कार्य विवरण
1	01-11-2021	कार्यालय की राजकीय रोकड़ पंजिका की जांच की गई एवं अवशेष राशि सत्यापित की गई ।
2	02-11-2021	छात्रकोष /पि.डी. अकाउण्ट वाउचरो पर कि गयी टिप्पिणियो को भण्डार पंजिकाओ से मिलान किया गया।
3	03-11-2021	छात्रकोष /पि.डी. अकाउण्ट वाउचरो पर कि गयी टिप्पिणियो को भण्डार पंजिकाओ से मिलान किया गया।
4	04-11-2021to 07-11-2021	राजकीय अवकाश।
5	08-11-2021	एफ.वी.सी. वाउचरो पर कि गयी टिप्पिणियो को भण्डार पंजिकाओ से मिलान किया गया।
6	09-11-2021	आकस्मिक अवकाश लिया गया।
7	10-11-2021	एफ.वी.सी. वाउचरो पर कि गयी टिप्पिणियो को भण्डार पंजिकाओ से मिलान किया गया।
8	11-11-2021	भुगोल , गृह विज्ञान , परिक्षा प्रभार व जे.एन.वी.यु. भण्डार पंजिकाओ से सूचीयां तैयार करवाकर भण्डार पंजिका में हस्ताक्षर कर अवशेष सत्यापित किये।
9	12-11-2021	पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन किया गया।
10	13-11-2021	पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन किया गया।
11	14-11-2021	रविवार अवकाश ।
12	15-11-2021	आई.क्यु.ऐ.सी , वाई.डी.सी. , यु.जी.सी व आई.टी.सी भण्डार पंजिकाओ से सूचीयां तैयार करवाकर भण्डार पंजिका में हस्ताक्षर कर अवशेष सत्यापित किये।
13	16-11-2021	खेल प्रभार ,एन.एस.एस व मुख्य भण्डार पंजिकाओ से सूचीयां तैयार करवाकर भण्डार पंजिका में हस्ताक्षर कर अवशेष सत्यापित किये।
14	17-11-2021	मुख्य भण्डार पंजिकाओ से सूचीयां तैयार करवाकर भण्डार पंजिका में हस्ताक्षर कर अवशेष सत्यापित किये।
15	18-11-2021	प्रतिवेदन तैयार किया गया एवंम प्रतिवेदन पर कार्यालयाध्यक्ष महोदय से चर्चा कि गयी।

हस्ताक्षर दल सदस्य

प्रभारी अधिकारी

निदेशालय निरीक्षण विभाग राजस्थान– जयपुर

भाग–1 (अ)

प्रतिवेदन संख्या .....

–: प्रस्तावना :–

1.	**कार्यालय का नाम**		राजकीय महिला महाविधालय , जालौर।	
2.	**विभागाध्यक्ष का नाम**		प्राचार्य राजकीय महिला महाविधालय , जालौर	
3.	**नियंत्रण अधिकारी का नाम**		आयुक्त कॉलेज शिक्षा , जयपुर।	
4.	**निरीक्षण का क्षेत्र**		भण्डार लेखों का निरीक्षण एवं भण्डारों का भौतिक सत्यापन	
5.	**कार्यालयाध्यक्ष का नाम एंव अवधि**		**अवधि**	
	डॉ. अनिता कोठारी	कार्यवाहक प्राचार्य	29.11.2017	09.03.2019
	श्रीमती अनुराधा सक्सैना	कार्यवाहक प्राचार्य	10.03.2019	09.09.2021
	श्री बाबूलाल देवड़ा	कार्यवाहक प्राचार्य	09.09.2021	10.09.2021
	श्री मोहम्मद इरफान	कार्यवाहक प्राचार्य	10.09.2021	15.09.2021
	डॉ. एम. एल. जांगिड	प्राचार्य	16.09.2021	लगातार
6.	**प्रभारी अधिकारी भण्डार का नाम एंव अवधि**			
	श्री मोहम्मद इरफान , सहआचार्य (भूगोल)		01.04.2017	लगातार
	श्री गिरधारी लाल जयपाल , प्रवक्ता		03.11.2016	31.03.2017
7.	**विभागीय भौतिक सत्यापनकर्त्ता का नाम**			
	2020–21 का विभागीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।		–	

	डॉ. एम.एल. जांगीड़ , प्राचार्य , राजकीय महिला महाविधालय , जालौर।		2019–20	
	श्रीमती अनुराधा सक्सेना , कार्यावाहक प्राचार्य , राजकीय महिला महाविधालय , जालौर।		2018–19	
	डॉ. अनिता कोठारी , कार्यावाहक प्राचार्य , राजकीय महिला महाविधालय , जालौर।		2017–18	
8.	रोकडपाल का नाम एंव अवधि		अवधि	
	श्री विष्णु कुमार गोयल	लिपिक ग्रेड प्रथम	07.07.2000	06.02.2020
	श्री सुमित दवे	कनिष्ठ सहायक	06.02.2020	लगातार
9.	भण्डार पाल का नाम		अवधि	
	श्री विष्णु कुमार गोयल	लिपिक ग्रेड प्रथम	07.07.200	17.11.2017
	श्री शंकर लाल माली	लिपिक ग्रेड द्वितीय	17.11.2017	लगातार
10.	गत निरीक्षण की अवधि		प्रथम निरीक्षण	
11.	वर्तमान निरीक्षण की अवधि		01.11.2021 से 18.11.2021	
12.	जांच दल के सदस्य		श्री अमर चन्द ,कनिष्ठ लेखाकार एवं प्रभारी	
13.	नियम/उपबन्ध जिसके अधीन भौतिक सत्यापन किया गया		सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम भाग–2 के नियम 12 (3) के अधीन	